

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 3344 / 2024

राकेश कुमार

—अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, भरतपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.11.2024

आदेश की दिनांक :

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री राजीव सिंघल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :—शुचि शर्मा, सदस्य

लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी ने यह अपील आलोच्य आदेश दिनांक 25.10.2024 (अनुलग्नक-1) के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन अध्यापक लेवल-2 अंग्रेजी के रिक्त पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्रीनगर, रूंड, रूपवास जिला भरतपुर में किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि उसकी प्रथम नियुक्ति टीचर ग्रेड-तृतीय के पद पर हुई थी। इसके पश्चात् उसका सेट-अप परिवर्तन करके प्रारम्भिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा कर दिया गया। अपीलार्थी को राजस्थान सरप्लस नियम 1951 के तहत उसकी प्रतिनियुक्ति राजस्थान राज्य निशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण केन्द्र, भरतपुर में एक वर्ष के लिये कर दी गयी एवं आदेश दिनांक 21.07.2023 की पालना में उसे वास्तविक पदस्थापन स्थान राजकीय माध्यमिक विद्यालय मारोली कलां, सेवर के लिये दिनांक 22.07.2023 को कार्यमुक्त कर दिया अपीलार्थी का कहना है कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी नीति के अनुसार अधिशेष कार्मिक को पूर्व पदस्थापन विद्यालय में समायोजित किया जाना चाहिए एवं पूर्व पदस्थापन विद्यालय में पद रिक्त न हो तो समान ब्लॉक में या पास के ब्लॉक

में पदस्थापन करना चाहिए अपीलार्थी का कहना है कि वास्तविक ब्लॉक सेवर में 6 पद रिक्त होते हुये भी आलोच्य आदेश द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्रीनगर रूंध, ब्लॉक रूपवास, भरतपुर में कर दिया गया जबकि शाला दर्पण की रिपोर्ट के अनुसार ब्लॉक सेवर में विभिन्न विद्यालयों में 6 पद रिक्त है। अपीलार्थी ने उक्त आदेशों के विरुद्ध माननीय अधिकरण में अपील संख्या 3217/2024 दायर की। जिसमें पारित आदेश दिनांक 28.10.2024 (अनुलग्नक-8) के द्वारा अपीलार्थी को सक्षम अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं सक्षम अधिकारी को राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दिये जाने के निर्देश दिये गये थे। अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के आदेश की अनुपालना में दिनांक 05.11.2024 को प्रत्यर्थी संख्या 3 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सेवर ब्लॉक में लेवल-II, अंग्रेजी विषय के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नगला तेरहियां, झारौली एवं रामपुरा ब्लॉक सेवर में पद रिक्त है, में राज्य सरकार की नीति के अनुसार उसी ब्लॉक में पदस्थापन करने का प्रावधान होने के कारण अपीलार्थी का पदस्थापन उपरोक्त में से किसी भी विद्यालय में किये जाने का अनुरोध किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.11.2024 (अनुलग्नक-2) के द्वारा अपीलार्थी का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नगला, तेहरियां, झारौली एवं रामपुरा में कक्षा 6 से 8 में क्रमशः 55, 25, 96 छात्र/छात्रा अध्ययनरत है तथा अपीलार्थी का जहां पदस्थापन किया गया है उसमें कक्षा 6 से 8 में 204 छात्र/छात्रा अध्ययनरत है, के कारण अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्रीनगर, रूंध, रूपवास, भरतपुर में किया गया। अतः अपीलार्थी का अभ्यावेदन को आख्यात्मक आदेश के द्वारा निरस्त कर दिया गया, जो नियम विरुद्ध है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 25.10.2024 को अपास्त किया जावे एव प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को सेवर ब्लॉक में ही समायोजन के पश्चात् सेवर ब्लॉक में रिक्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नगला, तेरहियां, झारौली, रामपुरा, जधीना, बिलौठी सेवर एवं स्वतंत्रता सैनानी

- स्व: श्री सुमेर सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चारलीगंज में से किसी भी विद्यालय में रिक्त पद पर करे।
3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए, परन्तु अपील का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
 4. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
 5. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 25.10.2024 के द्वारा अपीलार्थी के प्रतिनियुक्ति से वापस आने पर अपीलार्थी का पदस्थापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रूंध, रूपवास, भरतपुर, अध्यापक ग्रेड-III, लेवल-II, अंग्रेजी के रिक्त पद पर पदस्थापन किया गया। जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिकरण में अपील संख्या 3217/2024 दायर की। जिसमें पारित आदेश दिनांक 28.10.2024 के द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन देने के निर्देश दिये थे तथा प्रत्यर्थी विभाग को आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर अपीलार्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण करने के निर्देश दिये गये थे। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.11.2024 के द्वारा अपीलार्थी का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नगला, तेरहियां, झारौली एवं रामपुरा में कक्षा 6 से 8 में क्रमशः 55, 25, 96 छात्र/छात्रा अध्ययनरत है तथा अपीलार्थी का जहां पदस्थापन किया गया है उसमें कक्षा 6 से 8 में 204 छात्र/छात्रा अध्ययनरत है के कारण अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्रीनगर, रूंध, रूपवास, भरतपुर में छात्रहित/राज्यहित में राज्य सरकार के अनुमोदन से किया गया। उक्त कारण से अपीलार्थी का अभ्यावेदन निरस्त किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश में हस्तेक्षप किये जाने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है।
 6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य

